न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ.रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या –08/2024 (अपील)

जीसीएमएस नं0 2024/21

शिवप्रकाश मालव आत्मज स्व0 रामभरोस मालव जाति धाकड़
निवासी के आर–219 के पास, सिविल लाइन नयापुरा कोटा जिला
कोटा राज0

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. मुकेश मालव आत्मज स्व0 रामभरोस मालव
2. कपिल मालव आत्मज मुकेश मालव
3. निखिल मालव आत्मज मुकेश मालव
   जाति धाकड निवासीगण ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
4. सरोज बाला पुत्री स्व0 रामभरोस पत्नी रामस्वरूप जाति धाकड निवासी मकान नं0 31 गणपति नगर होटल मेनाल के पास, बूंदी रोड, कुन्हाडी कोटा
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामान्तरकरण सं0 880 दिनांक 19.11.2019ग्राम रसूलपुर तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा,

उस्थिति

1. श्री रोहित पाठक, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री अनुराग गुप्ता, अभिभाषक रेस्पो0 1 से 3

निर्णय

दिनांक– 20.08.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा ग्राम रसूलपुर स्थित खाता संख्या 204 की कुल खसरा 4 की रकबा 2.84 हे0 भूमि खातेदार रामभरोसा पुत्र बालिगराम जाति धाकड़ वासगांव के नाम दर्ज रेकार्ड थी, खातेदार द्वारा खसरा नं0 614 की 0.46 हे0, 668 की 0.18 कुल किता–2 की 0.64 हे0 भूमि रेस्पोडेन्ट नं0 2 व 3 के नाम एवं खसरा नम्बर 627 की 1.18 हे0 भूमि रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र क्रमांक 5133 दिनांक 10.10.2019 एवं 5134 दिनांक 10.10.2019 से दान की जाने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा मुताबिक रेकार्ड, रिपोर्ट पटवारी एवं रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर दानगृहित रेस्पोडेन्ट नं0 1 से 3 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 880 दिांक 19.11.2019 को स्वीकृत किया गया ।

2. उक्त नामान्तरकरण आदेश की अप्रसन्नता में अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.12.2023 को लिमिटेश्न एक्ट की धारा 5 के प्रार्थनां पत्र के साथ जरिये अभिभाषक मुकेश खारोल, रोहित पाठक द्वारा पेश कर कथन किया कि खातेदार रामभरोस जी के अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 1 व रेस्पो0 नं0 4 वारिसान है । उक्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण रामभरोस जी के भी वारिसान का समान हक व हिस्सा है । किन्तु इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने रामभरोस जी को बहकावे में लेकर तथा यह जानते हुये कि उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है जिसका दान नहीं हो सकता है फिर भी उक्त भूमियों का दान रेस्पो0 नं0 1 व 2–3 ने अपने पक्ष में दिनांक 10.10.2019 का आलेखित कराकर उसका इंतकाल नं0 880 चुपचाप तरीके से रेस्पो0 नं0 5 से मिली भगत कर दिनांक 19.11.2019 को तस्दीक करवा लिया है जो निरस्तनीय है ।

जिला कलक्टर
कोटा

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट नं0 1 स 3 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री अनुराग गुप्ता का वकालतनामा पेश हुआ, रेस्पो0 नं0 4 की ओर से गोपालदत्त शर्मा का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अपीलांट एवं रेस्पो0 नं0 1 लगायत 3 उपस्थित । रेस्पो0 नं0 4 के वकील बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति दर्ज की जाकर उपस्थित वकील उभयपक्ष की बहस सुनी ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम रसूलपुर तहसील लाडपुरा में पुराना खसरा नम्बर 68, 239, 241, 339, 340, 422 कुल 6 किता की 17 बीघा 17 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के पिता रामभरोस जी के नाम दर्ज चली आ रही थी जिसके बाद सेटलमेन्ट व केचमेन्ट के नये खसरा नम्बर 614 की 0.46 हे0, खसरा नं0 627 की 1.18 हे0, खसरा नम्बर 668 की 0.18 हे0 व खसरा नम्बर 1155 की 1.02 हे0 कायम किये गये जो रामभरोस जी के खाते दर्ज हुई । इस प्रकार उक्त भूमि पुश्तैनी भूमियां है । बालकिया उर्फ बालिगराम को पिता गोरधन से भूमि विरासत में प्राप्त हुई है । तहसीलदार लाडपुरा ने उक्त दो दान पत्र दिनांक 10.10.2019 के आधार पर खसरा नं0 627 की 1.18 हे0, भूमि रेस्पो0 नं0 1 के नाम तथा खसरा नम्बर 614 की 0.46 हे0, ख0नं0 668 की 0.18 हे0 भूमि रेस्पो0 नं0 2–3 के नाम वाके ग्राम रसूलपुर कोटा का नामान्तरकरण संख्या 880 दिनांक 19.11.2019 को तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि खातेदार रामभरोस जी के दो पुत्र अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 1 है तथा एक पुत्री रेस्पो0 नं0 4 है तथा उक्त भूमि पुश्तैनी है, इस कारण सभी वारिसान का बराबर बराबर का हक व हिस्सा है । इसके बावजूद भी दान पत्रों के आधार पर नामान्तरकरण सं0 880 सरसरी तौर पर तस्दीक कर दिया । उपरोक्त नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया एवं कब्जा सम्बन्धी. जांच नहीं करवाई है, अपीलान्ट के पिता रामभरोस जी का देहावसान हो चुका है तथा अपीलान्ट अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है । उक्त पुश्तैनी भूमि होने से दान पत्र कानूनन अवैध, अवैधानकि व अपीलान्ट के हितों के विपरीत व प्रभावशून्य है । वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस यह भी कथन किया है कि उक्त भूमि दानकर्ता की खरीदशुदा नहीं होकर पुश्तैनी है तथा स्टाम्प पेपर पर रामभरोस जी के हस्ताक्षर भी नहीं है । अपीलाधीन इंतकाल नं0 880 दिनांक 19.11.2019 अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना सूचना दिये तस्दीक किया गया है जिसकी अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी अपीलान्ट ने कम्प्यूटर की जमाबंन्दी का आवेदन कर दिनांक 05.12.2024 को निकलवाने पर दिनांक 8.5.2024 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी की तिथि तक के दिन को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि पेश है । इस प्रकार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नं0 880 निरस्त योग्य है ।

5. वकील रेस्पो0 नं0 1 से 3 द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि रामभरोस जी रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 4 के पिता थे, जिनके द्वारा रजिस्टर्ड दान पत्र के माध्यम दान पत्र दिनांक 10.10.2019 के आधार पर खसरा नं0 627 की 1.18 हे0, भूमि रेस्पो0 नं0 1 के नाम तथा खसरा नम्बर 614 की 0.46 हे0, ख0नं0 668 की 0.18 हे0 भूमि रेस्पो0 नं0 2–3 के नाम दान की गई । उक्त रजिस्टर्ड दानपत्र के माध्यम से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है । किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज दानपत्र आदि का नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जाना ही होता है, जब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता तब तक नामान्तरकरण निरस्त नहीं हो सकता है । भूमि पैतृक है अथवा स्वअर्जित यह तहसीलदार द्वारा तय नहीं किया जा सकता है । अपीलान्ट का यह भी आरोप गलत है कि स्टाम्प पेपर पर रामभरोस जी के हस्ताक्षर नहीं थे, उनके हस्ताक्षर होने पर ही दान पत्र पंजीयन हुआ है बिना हस्ताक्षर के दान पत्र पंजीयन नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकृत करने में कोई गलती नहीं की है । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRD 1993-615, RRT 2023(1)576, RRT2023-23(Supp.)261प्रस्तुत किये है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील खातेदार रामभरोस द्वारा खसरा नं0 614 की 0.46 हे0, 668 की 0.18 कुल किता–2 की 0.64 हे0 भूमि रेस्पोडेन्ट नं0 2 व 3 के नाम एवं खसरा नम्बर 627 की 1.18 हे0 भूमि रेस्पो0 नं0 1 जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र क्रमांक. 5133 दिनांक 10.10.2019 एवं 5134 दिनांक 10.10.2019 से दान की जाने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 1 से 3 के पक्ष में स्वीकृत नामा0 880 दिनांक 19.11.2019 की अप्रसन्नता में दिनांक 12.12.2023 का मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश की गई है । अपील 4 वर्ष मियाद बाहर पेश की है, मियाद के शमन के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की अपीलांट को जानकारी नहीं थी तथा प्रथम जानकारी दिनांक 05.12.2023 को जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर होना बताया है । वकील रेस्पो0 द्वारा मियाद की धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए आपत्ति की है । प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है किन्तु उक्त दान पत्र का स्वीकृत नामान्तरकरण की अपीलांट को जानकारी नहीं होने से अपीलांट के कथनों को उचित मानते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित मानते है । धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

7. अपीलान्ट द्वारा यह अपील रजिस्टर्ड दस्तावेज दान पत्र 5133 दिनांक 10.10.2019 एवं 5134 दिनांक 10.10.2019 से दान की जाने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 1 से 3 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण 880 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है । वकील अपीलांट के तर्को से हम सहमत है तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRD 1993-615, RRT 2023(1)576. RRT2023-23(Supp.)261पूर्णरूप से इस अपील पर चस्पा होते है, क्योंकि कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज यथा दान पत्र, विक्रय पत्र,हक त्यागपत्र, के आधार पर तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण तब तक निरस्त नहीं हो सकता है जब तक की सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज रद्द नहीं कर दिया जाता । इस अपील प्रकरण में भी रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर ही तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तरकण संख्या 880 दिनांक 19.11.2019 को स्वीकृत किया गया है, जिसे इस अपील के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता है । अपील विधि अनुरूप नहीं होने से खारिज योग्य है ।

8. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 880 दिनांक 19.11.2019 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

9. निर्णय आज दिनांक 20.8.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलक्टर
कोटा